न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा.प. संख्या 21/2021

बजरंगलाल पुत्र भागीरथ जाति चेजारा निवासी लखीपुरा तहसील व जिला सीकर

–प्रार्थी –

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र धासीराम जाति चारन
2. अशोक कुमार पुत्र प्रभातीलाल जाति चेजारा
3. इन्द्रा पुत्री प्रभातीलाल जाति चेजारा
4. ओमप्रकाश पुत्र बिदामी देवी जाति चारन
5. कमलादेवी पुत्री श्योचन्द जाति चेजारा
6. किरण पुत्री महावीर प्रसाद जाति चारन
7. गुमानी पत्नी प्रभाती लाल जाति चेजारा
8. गुलाबचन्द पुत्र श्यामलाल जाति चेजारा
9. गुलाबी पुत्री चौथू जाति चेजारा
10. गुलाबी देवी पुत्री बिदामी जाति चारन
11. गोपाल पुत्र डालू जाति चेजारा
12. छगनलाल पुत्र कालू जाति चेजारा
13. छोटी देवी पत्नी श्यामलाल जाति चेजारा
14. झिमकू देवी पुत्री बिदामी देवी जाति चारन
15. दड़की देवी पुत्री बिदामी देवी जाति चारन
16. धापली देवी पुत्री बिदामी देवी जाति चारन
17. नेमीचन्द पुत्र जमना जाति चेजारा
18. नवीन कुमार पुत्र गीण्डारा जाति चेजारा
19. निर्मला देवी पुत्री श्योचन्द जाति चेजारा
20. पंकज कुमार पुत्र नाथूराम जाति कुमावत
21. बनवारीलाल पुत्र श्योचन्द जाति चेजारा
22. बसन्ती पुत्री नाथूराम जाति कुमावत
23. भंवरी देवी पत्नी गीन्डाराम जाति चेजारा
24. मन्नालाल पुत्र श्यामलाल जाति चेजारा
25. राकेश कुमार पुत्र नाथूराम जाति कुमावत
26. राजकुमार पुत्र गीन्डाराम जाति चेजारा
27. राजू देवी पुत्री प्रभातीलाल जाति चेजारा
28. राधा देवी पुत्री श्योचन्द जाति चेजारा

उपखण्ड अधिकारी सीकर

29. राम देवी पुत्री श्योचन्द जाति चेजारा
30. राम देवी पत्नी महावीर प्रसाद जाति चारन
31. रामनिवास पुत्र श्यामलाल जाति चेजारा
32. रामरतन पुत्र श्योचन्द जाति चेजारा
33. रोशनलाल पुत्र प्रभातीलाल जाति चेजारा
34. शारदा देवी पुत्री गीन्डाराम जाति चेजारा
35. संतरा देवी पत्नी नाथूराम जाति कुमावत
36. सुभाष पुत्र महावीर प्रसाद जाति चारन
37. सुमन पुत्री प्रभातीलाल जाति चेजारा
38. सुमित्रा पुत्री महावीर प्रसाद जाति चारन
39. सरस्वती पत्नी स्व0 जमना जाति चेजारा
40. सुशीला पुत्री नाथूराम जाति कुमावत
41. हरिचन्द पुत्र श्यामलाल जाति चेजारा
42. जयचन्द पुत्र भागीरथ जाति चेजारा
43. ताराचन्द पुत्र भागीरथ जाति चेजारा
44. दीनदयाल पुत्र भागीरथ जाति चेजारा समस्त निवासीगण ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर
45. तहसीलदार तहसील सीकर
46. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पिपराली
47. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा रघुनाथगढ

—अप्रार्थीगण—

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 व प्राप्त करने रास्ता

आदेश

दिनांक –

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्राथीगण एवं अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर में खसरा संख्या 2239 रकबा 1.60 है0 अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी जयचन्द, ताराचन्द व दिनदयाल खातेदार काश्तकार हैं व पशुओं के लिये मकानात बना रखें है तथा सिंचाई हैतु चाह बना रखा है। उत्तरी दिशा में भूमि खसरा नम्बर 2242 से 2244 भूमि अवस्थित है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ता 41 खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि 2239 में आवागमन हैतु एक रास्त 351 नला से लखीपुरा जाने वाली सड़क से सटकर अप्रार्थी

18/7/22

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

संख्या 1 ता 41 के खसरानम्बर 2244 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे होता हुआ प्रार्थी की भूमि तक जाता है। संलग्न नजरी नक्शें में ए से बी दर्शाया गया है। यह रास्ता पिछले वर्षो से चालू था लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से अप्रार्थीगण बार बार बाधा उत्तपन्न करते हैं। उक्त रास्ते में कृषि कार्य के लिये ट्रेक्टर आदि ले जानी होती है इसलिये 20 फिट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थी कई वर्षों से करता आ रहा है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नजदीक नहीं है। अतः प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 2239 में आवागमन हैतु खसरा नम्बर 2244 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 75 फिट लम्बा व 20 फिट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार से रास्ते बाबत नियमानुसार प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1,4, 8,9,11,12,21 व 32 जरिये वकील उपस्थित रहे। जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि आवेदक एवं अनावेदक संख्या 42,43,44 के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 2182,2229,2230,2239,2284 से 2288 व 2391 है। खसरा नम्बर 2244 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे कटानी रास्ता है जो पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढता हुआ खसरा नम्बर 4836,2245,2246,2235,2233,2231,2230, 2391 के सहारे सहारे आगे जाता है इसी कटानी रास्ते से आवागमन किया जाता है जो निर्बाध रूप से चालू है तथा इसी रास्ते से आवेदक व अनावेक संख्या 42 से 44 अपने अराजी खसरा नम्बर 2391,2229, 2560/2237 से होते हुऐ अपने खसरा नम्बर 2239 में आवागमन करते है। खसरा नम्बर 2560/2237 आवेदक की पत्नी कोशल्या देवी का है । इस प्रकार आवेदक के खसरा नम्बर 2239 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 2244 में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है ना ही वर्तमान में कोई रास्ता है। अतः आवेदन मय हर्जा खर्चा खारजि फरमाया जावे। शेष पक्षकारान की तामील नोटिस प्राप्त नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार सीकर द्वारा अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक राजस्व/2022/916 दिनांक 30.6. 2022 द्वारा प्रेषित की गई ।

बहस वकील उभय पक्ष सूनी गई। जो आवेदन एवं जवाब आवेदन के अनुसार रही। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आरआरटी 2018–19(सप.) पेज 511 की नजीर पेश की। हमने बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्ताव तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार आवेदक को दिये जाने वाला रास्ता है वह खसरा नम्बर 2221 गै0मू0 नला से लिंक करते हुऐ खसरा नम्बर 2244 में से दिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार मुख्य रास्ता गै0 मू0 नला हो गया है जिससे प्रस्तावित रास्ता को लिंक किया

18/7/22
उपखण्ड अधिकारी- सीकर

जा रहा है। जमाबंदी में भी खसरा नम्बर 2221 रकबा 0.19 है0 की भूमि गै0मू0 नाला के नाम से दर्ज है एवं खातेदारी में दर्ज है। इसके अलावा खसरा नम्बर 2230 व 2291 प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि है खसरा नम्बर 2229 व 2239 भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि है इनके मध्य खसरा नम्बर 2562/2237 की खातेदारी प्रार्थी की पत्नी के नाम से दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार खसरा नम्बर 2230 व 2391 रास्ता खसरा नम्बर 2247 गै0 मू0 नाला से लगे हुऐ हैं। इस संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि गै0मू0 नाला की भूमि को किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ दिया जाना अब्दूल रहमान के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार वर्जित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर गै0मू0 नाला से रास्ता लिंक किया जाना कानून वर्जित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18.7.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी सीकर
उपखण्ड अधिकारी- सीकर